

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय**  
**10, बहादुर शाह जफर मार्ग**

नई दिल्ली  
13 जून 2016

**नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य का प्रतिवेदन, दिल्ली सरकार राज्य विधान सभा में प्रस्तुत**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से संबंधित मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार की जाती है। आज (13 जून 2016) विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ये हैं:

1. राजस्व और सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों (सा.क्षे.उ.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
2. सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों (गैर सा.क्षे.उ.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

**1. राजस्व और सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र(सा.क्षे.उ.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए दो अध्याय समाविष्ट हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में कम मूल्यांकन, कम भुगतान/राजस्व की हानि, ब्याज एवं जुर्माना से संबंधित ₹1.36 करोड़ को शामिल करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित अध्याय II में एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 229.90 करोड़ के छः पैराग्राफ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन का कुल धन मूल्य ₹ 231.26 करोड़ है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

**अध्याय-I: राजस्व क्षेत्र**

वर्ष 2014-15 के लिए सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, वर्ष 2013-14 के ₹27980.69 करोड़ की तुलना में ₹29584.59 करोड़ थीं। इसमें से 92 प्रतिशत, कर राजस्व (₹26603.90 करोड़) एवं गैर-कर राजस्व (₹632.55 करोड़) से उत्थित की गई थीं। शेष आठ प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान(₹2348.14 करोड़) के रूप में प्राप्त की गई थीं। विगत वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.64 प्रतिशत वृद्धि एवं गैर-कर राजस्व में 4.03 प्रतिशत की कमी हुई।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 74 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 506 मामलों में शामिल ₹159.57 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा ₹ 1.45 करोड़ की अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा ₹4.68 लाख की राशि की वसूली की जो कि 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया।

(पैराग्राफ 1.1.10)

### **व्यापार एवं कर विभाग**

#### **मूल्य वर्धित कर(वैट)के अन्तर्गत निर्धारण की प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

“मूल्य वर्धित कर(वैट) के अन्तर्गत निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को प्रकट करती है;

2009-10 एवं 2010-11 वर्षों के लिए प्रत्येक ₹पाँच करोड़ एवं उससे अधिक के वार्षिक सकल टर्नओवर के एक सौ इक्यासी मामलों (₹ 5546.61 करोड़ के संपूर्ण टर्नओवर) की संवीक्षा एवं निर्धारण नहीं किया गया और वे समय-बाधित हो चुके थे।

(पैराग्राफ 1.2.2.1)

माँग के मामलों की गैर-प्रभावी निगरानी के कारण सरकार को ₹512.05 करोड़ मूल्य की देय राशि वसूल नहीं हुई, जिसमें उन व्यापारियों, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था, से ₹ 214.98 करोड़ प्राप्य राशि शामिल थी।

(पैराग्राफ 1.2.2.2 (i)& (iv))

सिस्टम में वैधीकरण नियंत्रण के अभाव में उन व्यापारियों को ₹14.49 करोड़ मूल्य के सांविधिक फार्मों को आधिक्य में जारी किया गया, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था तथा व्यापारियों को ₹56.96 करोड़ राशि के सांविधिक फार्म जारी किए गए यद्यपि उनके विरुद्ध ₹1.16 करोड़ की माँग बकाया थी।

(पैराग्राफ 1.2.3.1 (i & iii))

इनके पास उन व्यापारियों जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका है और जिनका मूल्य निर्धारण किया गया, के धन-वापसी के मुद्दे को रोकने के लिए सिस्टम जाँच एकीकृत नहीं थी।

(पैराग्राफ 1.2.3.1 (vi))

### **अध्याय -II सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)**

31 मार्च 2015 को 17 सा.क्षे.उ., थे जिनमें 15 सरकारी कम्पनियाँ एवं 2 सांविधिक निगम सम्मिलित थे। इन 17 सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2015 को ₹ 27,670.57 करोड़ का निवेश था। कुल निवेश में 34.76 प्रतिशत पूंजी और 65.24 प्रतिशत दीर्घ कालीन ऋणके रूप में सम्मिलित था। यह कुल निवेश वर्ष 2010-11 में ₹ 22,803.34 करोड़ से 21.34 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 27,670.57 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने राज्य सा.क्षे.उ. को ₹ 1,803.35 करोड़ अंशदान, ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में दिया।

**(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.7)**

बकाया लेखों की संख्या 11 (2010-11) से बढ़कर 22 (2014-15) हो गई। 30 सितम्बर 2015 को एक सा.क्षे.उ. नामतः दिल्ली अ.ज./अ.ज.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय व विकास निगम लिमिटेड के सबसे ज्यादा 11 पूर्व वर्षों के लेखे संचित हो गये थे, जबकि अन्य सा.क्षे.उ. में एक से दो वर्षों के लेखे बकाया थे।

**(पैराग्राफ 2.1.9)**

17 सा.क्षे.उ. में से 10 सा.क्षे.उ. ने रुपये 988.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 6 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,599.73 करोड़ का नुकसान उठाया। एक कार्यशील सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे “न लाभ न हानि” के आधार पर बनाए।

**(पैराग्राफ 2.1.11)**

अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 के दौरान प्राप्त हुए 13 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच लेखों को बिना शर्त प्रमाण पत्र, सात को सशर्त प्रमाणपत्र तथा एक को प्रतिकूलता (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य व निष्पक्ष स्थिति नहीं दर्शाते) प्रमाण पत्र प्रदान किया। आठ चयनित लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा में नि.म.ले.प. ने 30 सितम्बर 2015 तक एक-एक लेखे को सशर्त और बिना शर्त प्रमाणपत्र दिया (बकायाछः लेखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है)। वर्ष के दौरान दो लेखों में लेखा मापदण्डों के अनुपालन न होने के उदाहरण मिले।

**(पैराग्राफ 2.1.12)**

**परिवहन विभाग**

“दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए हैं:

बेड़े का उपयोग और वाहन उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से कम थे। रूट योजना में कमियाँ थीं। 2010-15 के दौरान परिवर्ती लागत की वसूली न कर पाने वाले रूटों की संख्या 15.24 प्रतिशत से 63.80 प्रतिशत तक बढ़ गई। 14.14 से 21.29 प्रतिशत तक निर्धारित कि. मी. छोड़ दिए गए। प्रति 10,000 चालित कि.मी पर वाहन में खराबी के मामलों की संख्या 1.77 से बढ़कर 5.35 हो गई।

**(पैराग्राफ 2.2.3.1 से 2.2.3.7)**

निगम निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद नई बसों का क्रय नहीं कर पाया। इसने ₹204.54 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का अवसर भी गंवा दिया।

**(पैराग्राफ 2.2.4.1 से 2.2.4.3)**

बिना किसी अभिलिखित कारणों के रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकारने अन्य विभागों में स्टाफ की तैनाती के कारण ₹57.40 करोड़ के वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति नहीं की।

**(पैराग्राफ 2.2.4.5)**

समग्र निधि के ₹ 40.65 करोड़, विनिर्देशों के विरुद्धवेतन के भुगतान, फर्नीचर, सहायक वाहनों एवं कम्प्यूटरों की खरीद के लिए प्रयोग किये गए। प्रणाली में दोषों, अनुचित रखरखाव, विज्ञापन के ठेकों की सुपुर्दगी में अविवेकपूर्ण/विलंबित निर्णयों और निष्क्रियता के कारण निगम ने ₹79.84 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का अवसर गंवा दिया ।

**(पैराग्राफ 2.2.5.2 और 2.2.5.3)**

बिना लिखित समझौते करे अन्य विभागों को स्थान के हस्तांतरण के कारण ₹ 53.06 करोड़ की वसूली नहीं हुई। 2010-15 के दौरान स्कूल बसों के संचालन में निगम को ₹ 46.11 करोड़ की हानि हुई।

**(पैराग्राफ 2.2.5.4)**

### **पावर विभाग**

**इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड** द्वारा कर की स्व-निर्धारण गणना के समय मैट क्रेडिट का लाभ नहीं लेने के कारण ज्यादा आयकर जमा किया गया जिसके कारण ₹ 8.10 करोड़ की निधि का अवरोधन और फलस्वरूप ₹ 0.95 करोड़ ब्याज का भार हुआ।

**(पैराग्राफ 2.3)**

**दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड** ने ₹ 3.54 करोड़ के रूप में मिनीमम लटरनेट टैक्स के देरी से भुगतान के कारण, ब्याज के रूप में ₹ 0.46 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त देयता वहन की।

**(पैराग्राफ 2.4)**

### **दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड**

लाईसेंस शुल्क के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ के ब्याज के रूप में परिहार्य देयता उत्पन्न हुई।

**(पैराग्राफ 2.5)**

अग्रिम कर देयता के निर्धारण व उसके निपटान में असफलता, परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 8.62 करोड़ का परिहार्य व्यय।

**(पैराग्राफ 2.6)**

### **शहरी विकास विभाग**

शाहजहानाबाद का पुनर्विकास करने के अधिदेश को पूर्ण करने के लिए **शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम** ने अपनी स्थापना के सात वर्ष बाद भी कोई योजना नहीं बनाई। यह मात्र एक परियोजना को भी वैचारिक और व्यवस्थित करने में असफल रहा और शाहजहानाबाद को पुनर्जिवित करने का उद्देश्य आज भी आरम्भिक अवस्था में है। आरम्भ से ही ₹ 4.36 करोड़ का व्यय मुख्यता स्थापना पर हुआ।

**(पैराग्राफ 2.8)**

## **2. सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

इस प्रतिवेदन में ₹ 240.04 करोड़ की चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जैसे 'सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण की खरीद, रखरखाव तथा उपयोग', 'दिल्ली

अग्निशमन सेवाओं की कार्यान्वयन, दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा 'नगर निगमों के क्षेत्र में पार्किंग सुविधाएँ' और अधिक/व्यर्थ/निष्फल/अनियमित व्यय, अग्राह्य भुगतान इत्यादि से संबंधित ₹ 1,711.58 करोड़ के 16 पैराग्राफ शामिल हैं।

राज्य सरकार का कुल व्यय 2010-15 के दौरान ₹24,731.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय 2010-11 में ₹ 14,381.74 करोड़ से

2014-15 में ₹ 23,509.49 करोड़ अर्थात् 63.47 प्रतिशत तक बढ़ गया, 2010-15 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9,490.15 करोड़ से ₹ 15,563.19 करोड़ अर्थात् 63.99 प्रतिशत तक और पूँजीगत व्यय ₹3,984.80 करोड़ से बढ़कर ₹4,403.94 करोड़ हो गया।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ मुख्य निष्कर्षों का सार नीचे है:

#### **निष्पादन लेखापरीक्षा**

##### **सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण की खरीद, रखरखाव तथा उपयोग**

चिकित्सा उपकरण खरीद करने हेतु एक विस्तृत योजना या तो केन्द्रीय रूप से विभाग में या अलग-अलग अस्पतालों के स्तर पर तैयार नहीं किया गया था।

**(पैराग्राफ 2.1.3.1)**

चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा डिलिवरी में 2 वर्षों तक की देरी हुई यद्यपि यह कार्य इस तरह की देरी को दूर करने के उद्देश्य से बाहरी एजेन्सी को दिया गया। एजेन्सी को परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 60.05 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

**(पैराग्राफ 2.1.3.2)**

आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की देरी से आपूर्ति करने के लिए दोषी आपूर्तिकर्ताओं पर ₹ 95.84 लाख का जुर्माना लगाने में अस्पताल असफल रहे।

**(पैराग्राफ 2.1.3.4)**

अस्पतालों ने अपने वास्तविक जरूरत से बहुत अधिक ₹ 3.16 करोड़ के उपकरण तथा उपभोग्य वस्तुओं की खरीद की जो स्टॉक में लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त पड़े रहे।

**(पैराग्राफ 2.1.4.1)**

2009-10 से 2014-15 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 18.22 करोड़ मूल्य के 66 उपकरण 1 माह से दो वर्षों से अधिक की देरी से संस्थापित किये गये।

**(पैराग्राफ 2.1.4.2)**

₹ 83.17 लाख के 21 उपकरण सहायक उपकरण, रिजेंट तथा उपभोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण 15 दिनों से तीन वर्षों से अधिक की सीमा अवधि तक अप्रयुक्त रहे।

**(पैराग्राफ 2.1.4.4)**

अस्पतालों ने उपकरणों की मरम्मत पर ₹ 94.78 लाख खर्च कर दिए जो वारंटी अवधि में थे। अस्पतालों ने न तो वारंटी का उपयोग किया न ही फर्म के विरुद्ध कार्यवाई करने की पहल की।

**(पैराग्राफ 2.1.5.2)**

### **दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली**

दि.अ.से. परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए नियोजित अग्निशमन केन्द्रों की संख्या के निर्माण में असफल रही। नियोजित लक्ष्य 70 की जगह केवल 58 अग्निशमन केन्द्र ही थे।

**(पैराग्राफ 2.2.4.1)**

2011 की जनगणना के अनुरूप, दिल्ली की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास पर्याप्त पम्पिंग इकाईयाँ नहीं थी। आवश्यक 205 की जगह उनके पास केवल 160 पम्पिंग इकाईयाँ थी। इनमें से 31 (20 प्रतिशत) इकाईयाँ क्रियाशील नहीं थी।

**(पैराग्राफ 2.2.4.2 (अ))**

दि.अ.से. का प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। नमूना जाँच के 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में, प्रतिक्रिया काल अति आपदा क्षेत्रों एवं समीपवर्ती निर्मित क्षेत्रों में निर्धारित तीन मिनट से अधिक एवं अन्य क्षेत्रों में पाँच मिनट से अधिक था।

**(पैराग्राफ 2.2.5)**

दि.अ.से. के पास दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों की संख्या एवं इन इमारतों के लिए जारी किए गये एवं नवीनीकृत किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्रों की स्थिति का कोई विवरण नहीं था।

**(पैराग्राफ 2.2.7.1)**

इमारतों में सुरक्षा उपकरणों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों की अनुपालना नहीं हुई।

**(पैराग्राफ 2.2.7.4)**

### **दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन**

नियंत्रण क्षेत्र से एस.टी.पी तक सीवेज को लाने के लिए पर्याप्त वहन प्रणाली की कमी के कारण सीवेज परिशोधन संयंत्रों(एस टी पी) के उपयोगिता क्षमता केवल 66 प्रतिशत था।

**(पैराग्राफ 2.3.2.1(i))**

अपरिष्कृत जल के उपलब्धता को बिना सुनिश्चित किए द्वारका, बवाना एवं ओखला में 150 एम.जी.डी. हेतु जल परिशोधन संयंत्र एवं सहायक बुनियादी ढाँचे विकसित किये गए।

**(पैराग्राफ 2.3.2.2(ii))**

क्रियान्वयनमें देरी के लिए, 12 कार्यों में ठेकेदारों के बिल से जुर्माने के एवज में ₹ 104.20 करोड़ कम रोका गया।

**(पैराग्राफ 2.3.3.1)**

ठेकेदार को सीवर लाइन के बिछाये जाने हेतु सीमित ट्रेंच से माइक्रो टनलिंग तकनीक में बदलने के लिए अनुमति दिया गया जिस कारण ₹15.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

53 कार्यों में से 44 में कार्य के क्रियान्वयन में 5 से 85 महीने तक का विलम्ब हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.5.1)

### नगर निगम के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ

जनवरी 2007 में अनुमोदित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर 17 भूमिगत स्वचालित पार्किंग (यू.जी.ए.पी.) में से जुलाई 2015 तक केवल एक को सृजित किया गया था। अभिसामयिक बहुस्तरीय भूमिगत पार्किंग(एम.एल.यू.जी.पी.) के आंशिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परामर्श पर ₹3.93 करोड़का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.3.2 तथा 2.4.3.3)

ठेकों का सौंपना तथा ठेका प्रबंधन अनियमितताओं से भरे थे जैसे सशर्त निविदा स्वीकार करना, ठेकेदार से बकायों की गैर-वसूली तथा नयी निविदाएं आमंत्रित न करना जबकि कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया था।

(पैराग्राफ 2.4.4.1, 2.4.4.2 व 2.4.4.3)

लाइसेंसधारियों द्वारा समझौतों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लाभकारी परियोजना (आर.पी.सैल) की विफलता के कारण पार्किंग स्थलों का कुप्रबंधन हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.5.1)

### अनुपालना लेखापरीक्षा

#### राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी

लाभार्थियों की पहचान में देरी थी। लाभार्थियों की सूची अयोग्य और असत्यापित व्यक्ति सम्मिलित थे। अनाज ले जाने वाले वाहनों में उनकी निगरानी के लिए जी.पी.एस. यन्त्र नहीं लगे हुए थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के डाटाबेस के अन्तर्गत डाटा अपूर्ण थे। लाभार्थियों की पहचान और अनाज के वितरण का सत्यापन करने के विक्रय स्थल मशीनें 2300 उचित दर की दुकानों में से केवल 42 दुकानों में आग लगी थी।

(पैराग्राफ 3.1)

### परिवर्धित अकादमिक भत्ते पर ₹ 76 लाख का अनियमित व्यय

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की शासी परिषद ने बिना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परामर्श के पैटर्न ऑफ अस्सिस्टेंस के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तुल्य वेतन संरचना को अपनाया। संस्थान ने बिना सरकार के परामर्श से अपने संकाय-सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता भी ₹1000 से ₹ 10000 प्रतिमाह बढ़ा दिया, परिणामस्वरूप ₹ 76 लाख का अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

**निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संगहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि की निष्प्रयोज्यता**

निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के प्रयास अपर्याप्त थे। बोर्ड की ओर से शिथिलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि निष्प्रयोज्य पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभिष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

**(पैराग्राफ 3.9)**

**अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय**

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुबंध की शर्तों के विपरीत रखरखाव के काम में निविदा की राशि से 1.25 गुना से अधिक ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

**(पैराग्राफ 3.10)**

**₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय**

कार्य को प्रदान करने व एस्केलटर्स (स्वचालित सीढ़ियाँ) स्थापित करने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन करने में लोक निर्माण विभाग की असफलता के फलस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

**(पैराग्राफ 3.11)**

**₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान**

लोक निर्माण विभाग ने पांच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक के परिवर्तन की अनुमति के बाद सड़क निर्माण में दोबारा परत बिछाने में 10,131.37 घन मी. की अस्वीकार्य अधिक मात्रा हेतु ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

**(पैराग्राफ 3.13)**

**₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय**

वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उच्च विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों को लगाने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण लोक निर्माण विभाग को ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

**(पैराग्राफ 3.14)**

**दिल्ली में सुधार गृह, किशोर सुधार गृह एवं सुधारालय के संचालन**

दिल्ली में संप्रेक्षण गृहों (ओ.एच.) में पर्याप्त अवसंरचना की कमी थी। नए भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल था क्योंकि यह कानूनी अभियोजन में फंसे किशोरों के लिए अनुकूल नहीं था। गैर सरकारी संस्था (एन जी ओ) को समय पर अनुदान न जारी किए जाने के कारण कपड़े, बिस्तर, औषधियों की आपूर्ति, कार्मिकों को वेतन के भुगतान इत्यादि से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हुईं। निगरानी तंत्र कमजोर था क्योंकि निरीक्षण समिति ने ओ.एच. का निरीक्षण नहीं किया। विशेष रूप से केयर टेकर, परामर्शदाताओं एवं शिक्षकों जैसे मुख्य पदों पर

कार्मिको की कमी थी।

(पैराग्राफ 3.16)

---

वी एस सी/आर एस जे